



भारत में वदियुत बाज़ार

प्रलिमिन्स के लिये:

[भारतीय ऊर्जा वनिमिय खरीद, वदियुत अधनियिम 2003, केंद्रीय वदियुत नयामक आयोग](#)

मेन्स के लिये:

[डसिक्कॉम का वनिमियमन और भारत के वदियुत कषेत्तर का महत्तव](#)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने गर्मियों के दौरान बढ़ती मांग के बीच देश के वदियुत बाज़ारों में “लकैज कोयले” से उत्पन्न अधशेष वदियुत व्यापार की अनुमति दे दी है।

- कोयला लकैज, सरकार द्वारा ताप वदियुत इकाइयों को आबंटति संसाधन हैं, जो वतिरण कम्पनियों के साथ दीर्घकालिक [वदियुत करय समझौतों \(power purchase agreements - PPAs\)](#) पर आधारति होते हैं, ताक वदियुत उत्पादन के लिये वशिवसनीय और नरितर कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

भारत के वदियुत बाज़ार क्या हैं?

- परचिय:**
 - भारत में [वदियुत बाज़ार](#) एक ऐसी प्रणाली का प्रतनिधित्व करते हैं, जहाँ वदियुत का व्यापार वभिन्न तंत्रों और वदियुत एक्सचेंजों जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से कथिा जाता है, जसिसे वदियुत [शक्तिका लचीला और कुशल आवंटन](#) संभव होता है।
- वदियुत वनिमिय:**
 - [वदियुत वनिमिय या एक्सचेंज](#) वदियुत बाज़ारों के भीतर एक प्रमुख अवसंरचना है जो पारदर्शी और प्रतसिपर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से वदियुत की खरीद और बिक्री को सक्षम बनाता है, जसिसे वदियुत आपूर्तिप्रणाली की समग्र दक्षता और वशिवसनीयता में योगदान मलित्ता है।
 - संरचना और वकिस:**
 - वदियुत वनिमिय की शुरुआत **सबसे पहले 1990-91 में यूरोप** में हुई थी और अब ये दुनयिा भर के लगभग 50 देशों में संचालति होते हैं।
 - भारत में [वदियुत अधनियिम, 2003](#) ने एक्सचेंज संचालन के लिये रूपरेखा स्थापति की और एक्सचेंजों की शुरुआत 2008 में हुई।
 - लचीलापन और जवाबदेही बढ़ाने के लिये 2020 में [स्पॉट मार्केट](#) की शुरुआत की गई थी।
 - व्यापार तंत्र:**
 - नीलामी प्रक्रयिा:** करेता बजिली खरीदने के लिये बोलयिों लगाते हैं और वकिरेता बेचने के लिए प्रस्ताव देते हैं।
 - बाज़ार समाशोधन मूल्य:** मांग बोलयिों और आपूर्तिप्रस्तावों का संतुलन उस बाज़ार समाशोधन मूल्य को नरिधारति करता है जसि पर वदियुत का कारोबार होता है।
 - वदियुत बाज़ारों की श्रेणयिाँ:**
 - स्पॉट मार्केट:**
 - तत्काल डलिवरी के लिये रयिल टाइम मार्केट (RTM)।
 - डलिवरी से कुछ घंटे पहले उसी दिन ट्रेड के लिये इंटराडे मार्केट।
 - अनुबंध बाज़ार:**
 - अगले दिन के लिये 15 मनिट के समय ब्लॉक में बंद नीलामी के लिये डे-अहेड मार्केट (DAM)।
 - 3 घंटे से लेकर 11 दिन पहले तक के ट्रेड के लिये टर्म-अहेड मार्केट (TAM)।
- वदियुत बाज़ार के लाभ:**
 - स्थतिस्थापकता:** बाज़ार में वदियमान वदियुत उत्पादक अल्पकालिक मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव की पूर्ति करने के लिये अधशेष वदियुत

का विक्रय करने में सक्षम हैं जिसके लिये उन्हें दीर्घकालिक वदियुत खरीद समझौते (Power Purchase Agreement- PPA) पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

- **पारदर्शिता और विश्वसनीयता:** मूल्य-आधारित मांग प्रतिक्रिया में कई पक्ष शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय अनुबंधों की अपेक्षा इसमें अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता होती है।
- **संसाधन अनुकूलन:** बाज़ार के वदियुत उत्पादकों का बाज़ार-संचालित उपागम उन्हें अपने उत्पादन और राजस्व का सबसे बेहतर ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे वदियुत की परिवर्तनशील माँगों को अधिक कुशलता से पूरा किया जा सकता है।
- **भारत में प्रमुख वदियुत एक्सचेंज:**
 - **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX):** बाज़ार में इसकी हस्तिदारी 90% है।
 - वित्त वर्ष 2023-24 में इसने लगभग 110 बिलियन यूनिट (BU) वदियुत का व्यापार किया, जिसमें साल-दर-साल 14% की वृद्धि हो रही है।
 - **पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL):** यह भारत का पहला संस्थागत रूप से प्रवर्तित पावर एक्सचेंज है जो वर्ष 2008 से ही अभिनव और विश्वसनीय समाधान प्रदान कर रहा है।
 - **हदिसतान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (HPX):** यह विभिन्न वदियुत उत्पादों के लिये एक व्यापक बाज़ार मंच प्रदान करता है।
- **व नियमन:** सभी एक्सचेंजों का व नियमन केंद्रीय वदियुत व नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission- CERC) द्वारा किया जाता है।
 - CERC का उद्देश्य थोक वदियुत बाज़ारों में प्रतस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना, नविश को बढ़ावा देना और मांग-आपूर्ति के अंतराल को पाटने हेतु संस्थागत बाधाओं का समाधान करने के संबंध में सरकार को सलाह देना है।
 - यह वदियुत अधिनियम, 2003 के तहत गठित अर्द्ध-न्यायिक स्थिति के साथ कार्य करने वाला एक सांघिक निकाय है।
 - **वदियुत अधिनियम 2003:** वदियुत अधिनियम, 2003 में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों (CERC और SERC) पर वदियुत व नियामक आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है।

वदियुत बाज़ार से संबंधित लिखित

- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) तंत्र:**
 - यह उपयोगिताओं को REC का कर्य कर नवीकरणीय खरीद दायित्वों (Renewable Purchase Obligations- RPO) को पूरा करने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक REC 1 मेगावाट नवीकरणीय वदियुत के बराबर है।
 - RPO की शुरुत वर्ष 2011 में की गई थी, यह एक ऐसा शासनादेश है जिसके तहत बड़े वदियुत करेताओं को अपनी बजिली मांग का एक नशिचति प्रतशित नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना आवश्यक है।
 - अपर्याप्त नवीकरणीय क्षमता वाले राज्य हरति ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये REC की खरीद कर सकते हैं।
- **वदियुत खरीद समझौते (PPA):**
 - ये वदियुत उत्पादकों और करेताओं (प्रायः सार्वजनिक उपयोगिताओं) के बीच दीर्घकालिक समझौते (प्रायः 25 वर्ष) होते हैं।
 - इसमें उत्पादकों को नशिचति दरों पर वदियुत की आपूर्ति करने के लिये प्रतबिद्ध करना शामिल है, जिससे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता सुनिशिचति होती है।
 - वे लचीले नहीं होते और गतशील बाज़ार स्थितियों के अनुकूल ढलने में असमर्थ होते हैं।

भारत में वदियुत बाज़ार के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **ट्रंसमिशन बाधाएँ:** अपर्याप्त ट्रंसमिशन अवसंरचना ग्रडि में भीडभाड पैदा करती है, जिससे उत्पादन स्रोतों से उपभोक्ताओं तक वदियुत का कुशल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
 - यह मांग केंद्रों से दूर स्थिति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिये विशेष रूप से समस्याग्रस्त है।
- **डसिकॉम की वतितीय स्थिति:** अकुशलता, चोरी और अवैतनिक बलियों से होने वाले उच्च घाटे के कारण वतिरण कंपनियों (डसिकॉम) की वतितीय स्थिति कमज़ोर है, जिससे ग्रडि में नविश करने और वदियुत उत्पादकों को तुरंत भुगतान करने की उनकी क्षमता सीमति हो जाती है, जिससे बाज़ार प्रभावित होता है।
 - उदाहरण के लिये भारत में पारेषण और वतिरण हानि (T&D) 20% से अधिक है जो विश्व औसत से अधिक है।
- **कोयले पर निर्भरता और मूल्य अस्थिरता:** वदियुत उत्पादन के लिये कोयले पर भारत की भारी निर्भरता के कारण वैश्विक कोयला बाज़ार में मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इससे वदियुत मूल्य स्थिरता बाधित होती है और जनरेटर के मार्जनि पर दबाव पड़ सकता है।
- **बाज़ार डज़ाइन और बुनयािदी ढाँचा:** बाज़ार युगमन और क्षमता बाज़ारों सहति मज़बूत बाज़ार डज़ाइन वकिसति करने के लिये बुनयािदी ढाँचे और समनवय में पर्याप्त नविश की आवश्यकता होती है।
- **असंगत नीति और नयामक ढाँचा:** एक जटलि तथा वकिसशील नयामक वातावरण वदियुत क्षेत्र में नविशकों के लिये अनशिचतिता पैदा करता है।
- **सीमति बाज़ार उत्पाद:** वर्तमान वदियुत बाज़ार मुख्य रूप से अल्पकालिक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि वायदा औस्युत्पन्न अनुबंध जैसे बाज़ार उत्पादों की एक व्यापक शृंखला वकिसति करता है।

नोट:

- **बाज़ार युगमन:** बाज़ार युगमन एक तंत्र है जिसका उपयोग वदियुत बाज़ारों में वभिन्न क्षेत्रों या देशों में वदियुत के व्यापार को एकीकृत और समन्वित करने के लिये किया जाता है।
 - इसका उद्देश्य सभी भागीदार वदियुत एकसर्जों या बाज़ार प्लेटफार्मों से आपूर्ति और मांग बोलियों का मलिन करके वदियुत के लिये एकल बाज़ार समाशोधन मूल्य प्राप्त करना है।
- **क्षमता बाज़ार:** क्षमता बाज़ार वदियुत क्षेत्र के भीतर की व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ उत्पादकों को न केवल उनके द्वारा उत्पादित और बेची गई वदियुत के लिये भुगतान किया जाता है, बल्कि वदियुत उत्पन्न करने की उनकी क्षमता हेतु भी भुगतान किया जाता है।

भारत में वदियुत बाज़ार को मज़बूत करने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **बाज़ार आधारित मूल्य नरिधारण को बढ़ावा देना:** [आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23](#) में वदियुत मूल्य नरिधारण के लिये बाज़ार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उच्च आय वाले उपभोक्ताओं हेतु सब्सिडी वाली वदियुत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और वदियुत उत्पादकों को मांग तथा आपूर्ति के आधार पर कीमतें नरिधारित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना जैसे सुधार शामिल हो सकते हैं।
- **बाज़ार युगमन:** वदियुत मूल्य को एकजुट करने तथा ग्रिड विश्वसनीयता हेतु प्रोत्साहन एवं समर्थन के साथ क्षमता बाज़ार विकसित करने के लिये बाज़ार युगमन को लागू करना।
- **डिस्कॉम के वित्तीय मुद्दों का समाधान:** बलिंग एवं संग्रहण प्रणालियों में सुधार, वदियुत चोरी में कमी लाने तथा [सार्वजनिक-नजी भागीदारी](#) की संभावनाएँ तलाशने जैसे उपायों से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को प्रोत्साहित करना:** बेहतर पूर्वानुमान, भंडारण, मीटरिंग, डेटा विश्लेषण एवं स्वचालन के माध्यम से ग्रिड प्रबंधन, दक्षता तथा विश्वसनीयता में सुधार के लिये नवीकरणीय ऊर्जा एवं [स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों](#) को बढ़ावा देना।
- **वित्तीयमक ढाँचे में सामंजस्य स्थापित करना:** वसिगतियों को कम करने एवं एक सुसंगत बाज़ार वातावरण बनाने के लिये राज्यों में एक समान नयिम विकसित करना।
- **ट्रान्समिशन बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** दुर्गम क्षेत्रों में लाइन नरिक्षण एवं रखरखाव के लिये [डुरोन](#) का उपयोग करना तथा हलके, मज़बूत एवं अधिक कुशल ट्रान्समिशन टावरों के लिये उन्नत सामग्रियों की खोज करने के साथ-साथ ट्रान्समिशन बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में वदियुत बाज़ारों के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करना तथा इन चुनौतियों पर नयितरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा सरकार की एक योजना 'उदय'(UDAY) का उद्देश्य है? (2016)

- (a) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (b) वरष 2018 तक देश के हर घर में वदियुत पहुँचाना।
- (c) कोयला आधारित वदियुत संयंत्रों को समय के साथ प्राकृतिक गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय वदियुत संयंत्रों से बदलना।
- (d) वदियुत वितरण कंपनियों के बदलाव और पुनरुद्धार के लिये वित्त प्रदान करना।

उत्तर: (d)